आम आदमी बीमा योजना

मंत्रालय
केन्द्रीय वित्त मंत्राय, एवं भारतीय जीवन बीमा निगम

राज्य जहां वर्तमान में इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:
- महाराष्ट्र
- केरल
- आन्ध्र प्रदेश
- तेलंगाना

लाभ

1. प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में
नामित को 30,000 रू की राशि दी जाएगी।

2. जोखिम अवधि के भीतर दुर्घटना की स्थिति में सदस्य को निम्न लाभों की प्राप्ति होगी:

दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रु	रु 75,000/-
दुर्घटना के कारण उत्पन्न स्थाई विकलांगता i. दोनों आँखों या दोनों हाथ/पैरों को क्षति अथवा ii. दुर्घटना में एक आँख एवं एक हाथ अथवा पैर को क्षति	रु 75,000/-
दुर्घटना में एक आँख एवं एक हाथ अथवा पैर को क्षति ।	रु 37,500/-

3. छात्रवृत्ति लाभ
लाभार्थी के नवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ। 100 रु प्रति माह प्रति बच्चे की दर से प्रत्येक छमाही पर भुगतान–प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं जनवरी की पहली तारीख को।

4. प्रीमियम
रू. 200 प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य पर रू.30,000 का कवर होगा जिसमें से 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष से सब्सिडी के रूप में मिलेगा।

5. स्थाई विकलांगता लाभ:
दावाकर्ता को साक्ष्य के रुप में दुर्घटना संबंधी दस्तावेज़ जमा करने होंगे–सरकारी सिविल सर्जन अथवा सक्षम सरकारी हड्डी विशेषज्ञ से दुर्घटना के कारण उत्पन्न हाथ/पैर को हुई क्षति सिद्ध करने वाला प्रमाण पत्र।

अर्हताएं
- हथकरघा, खादी एवं हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर
- 18 से 59 वर्ष की आयु
- सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया अथवा एक कमाऊ सदस्य होना चाहिए।

आवेदन कैसे दें?

महाराष्ट्र
https://aaby.mahaonline.gov.in/HOME/index.aspx नामक लिंक के माध्यम से आवेदन जमा करें।

निम्नलिखित मार्गदर्शिका का प्रयोग करें:
https://aaby.mahaonline.gov.in/PDF/AABY_enrollment_LICid_Upload.pdf

केरल

http://www.akshaya.kerala.gov.in/index.php/home/473 नामक लिंक के माध्यम आवेदन प्रपत्र डानउलोड करें

तथा

निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुरुप स्थानीय अक्षय केन्द्र में जमा करें।
http://www.akshaya.kerala.gov.in/files/LIC%20Aam%20Admi%20Bima%20Yojana.jpg

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

http://aaby.telangana.gov.in/CMS/AABY.aspx

छात्रवृत्ति लाभ के लिए आवेदन पत्र http://www.licindia.in/images/aaby_app_form.pdf से डाउनलोड करें और भर कर नोडल एजेंसी में जमा करें। नोडल एजेंसी छात्रों की पहचान करेगी।

कामगारों हेतु आवश्यकताएं

आयु प्रमाण पत्र के रुप में इनमें से कोई दस्तावेज़ जमा करें:

- राशन कार्ड
- जन्म पंजी का संबंधित अंश
- विद्यालय प्रमाण पत्र
- वोटर आई डी कार्ड
- कारीगर कार्ड
- आधार कार्ड

दावा संबंधी प्रक्रिया

मनोनयन

प्रत्येक सदस्य को एक ऐसे व्यक्ति का मनोनयन करनाहोगा जो उसकी मृत्यु पश्चात् उक्त राशि पर दावा पेश कर सके। आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा:

1. प्राकृतिक मृत्यु

दावे की राशि के भुगतान के लिए मनोनीत व्यक्ति को नोडल एजेंसी में सक्षम पदाधिकारी के पास मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देना होगा।

सक्षम पदाधिकारी द्वारा दावे से संबंधित दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और जाँच के उपरान्त अन्य दस्तावेजों के साथ ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मृतक उक्त परिवार का मुखिया अथवा कमाउ सदस्य था।

2. दुर्घटना के कारण मृत्यु

निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करें:

- एफ.आई.आर. की कॉपी
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
- पुलिस जाँच की रिपोर्ट
- पुलिस जाँच निष्कर्ष की रिपोर्ट/ पुलिस जाँच की अंतिम रिपोर्ट